न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा RAS

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः– 50/2023 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के–1554)

राजस्थान सरकार जरिये जीत सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी श्रीगंगागनगर –प्रार्थी

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र किशोर कुमार खाद्यकारोबारकर्ता (मालिक) मैसर्स कृष्ण बैकरी, शीतला माता मन्दिर रोड़, अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़। –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।), 52 **FSSA Act 2006**

निर्णय दिनांकः– 19.12.24

यह इस्तगासा **श्री जीत सिंह यादव तत्कालीन** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(।।) व **धारा 52**, के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः– यह है कि परिवादी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता दिनांक 28.08.2022 को समय **01:00 पीएम बजे** पर निरीक्षणार्थ मैसर्स– **कृष्ण बैकरी, शीतला माता मन्दिर रोड़, अनूपगढ़** पर निरीक्षण हेतु पहुंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **राकेश कुमार पुत्र किशोर कुमार (विक्रेता) को** अपना परिचय देकर दुकान में रखे करीब 400 ग्राम वजनी पोली पाउच सील्ड पैकेट **Milk Tosh(new lite premium quality)** 50 नग रखे हुए थे, के बारे में जानकारी चाहीं। अप्रार्थी **राकेश कुमार पुत्र किशोर कुमार** ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **Milk Tosh(new lite premium quality)** 400 ग्राम वजनी के 04 पोली पाउच कुल 1.6 किलोग्राम विक्रेता से तय कीमत पर खरीद कर लिया। विकेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **Milk Tosh(new lite premium quality)** का नगद भुगतान **200/–** रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता राकेश कुमार तथा गवाहान के हस्ताक्षर व स्वयं के हस्ताक्षर है, जो संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **राकेश कुमार पुत्र किशोर कुमार(विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री राकेश कुमार पुत्र किशोर कुमार(विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी मोटे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–1554** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राकेश कुमार एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅंचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सील लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमुना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक FSSA/2022/21437-38 दिनांक** 23.09.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेशक बीकानेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एल.एस. 899/एक्ट/2022/899 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार खाद्यकारोबारकता एवं मालिक द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Milk Tosh(new lite premium quality) का नमूना Mis-branded Food** होना पाया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रींगागनगर को पत्र दिनांक 29.09.2022 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की गई।

Scanned with OKEN Scanner

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी राकेश कुमार पुत्र किशोर कुमार (विक्रेता व मालिक) मैसर्स कृष्ण बैकरी, शीतला माता मंदिर रोड़, अनूपगढ़ ने खाद्य पदार्थ **Milk Tosh(new lite premium quality), Mis-branded Food** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (II) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता श्री तिलक राज चुघ उपस्थित हुए व अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में कथन किया गया है कि बिन्दु संख्या 01 रिकॉर्ड का तथ्य है। बिन्दु संख्या 02 जिस प्रकार से दर्ज की गई है उसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। साक्ष्य प्रस्तुत होने पर प्रतिरक्षा की जावेगी। बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में निवेदन है कि मिल्क टोश गैरसायल द्वारा निर्मित नहीं किया गया एवं ना ही मेरे द्वारा तैयार किया गया। उक्त खाद्य पदार्थ कम्पनी द्वारा तैयार किया गया है। बिन्दु संख्या 04 के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा गवाह प्रस्तुत होने के बाद उनसे जिरह के पश्चात सही स्थिति प्रकट हो सकेगी। बिन्दु संख्या 05 में दर्ज कथन में विधिक प्रावधानों की पालना नही की गई। बिन्दु सं. 06 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 07 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 8 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 09 व 10 को सिद्ध करने का भार परिवादी पर है। बिन्दु सं. 11 तक अस्वीकार है। बिन्दु सं. 12 वरवक्त बहस अरज किये जायेगे। अतः जबाव परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र की कार्यवाही निरस्त फरमावी जावे।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में जबाव के बिन्दुओं को दोहराया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **Milk Tosh(new lite premium quality)** के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक L.S.899/Act/2022/899 दिनांक 08.09.2022** में खाद्य पदार्थ **Milk Tosh(new lite premium quality)** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 52 का उल्लंघन करते हुए नमुना के-**1554 Mis-branded Food** पाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उक्त खाद्य पदार्थ नमूना **Mis-branded** होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा **Mis-branded** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Mis-branded** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(II), 52 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(II), 52** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **Milk Tosh(new lite premium quality) हेतु राकेश कुमार पुत्र किशोर कुमार खाद्यकारोबारकर्ता (मालिक) मैसर्स कृष्ण बैकरी, शीतला माता मन्दिर रोड़, अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़ को** रू 50,000 /- रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला भुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.24 को सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner